वकील उभयपक्ष उप० । जवाब प्रा.पत्र द्वारा 10 CPC हेतु, समय चाहा। पत्रावली वास्ते जवाब प्रा.पत्र द्वारा 10 CPC दिनांक 26-2-20 को पेश हो।

26-2-20- पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्ष उपस्थित। जवाब प्रार्थना पत्र 10 CPC पूर्व में दिनांक 28/11/19 को पेश हो चुका है। उभय पक्ष द्वारा बहस समाप्त की गयी। पत्रावली वास्ते आदेश/निर्णय दिनांक 28/2/20 को पेश हो।

28/2/20 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्ष उपस्थित। उभय पक्ष द्वारा बहस अन्तर्गत प्रार्थना पत्र 10 CPC समाप्त की जा चुकी है। अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किए कि वादी द्वारा वाद हाजा में अपने पिता, चाचा व दादी के विरुद्ध चक 4 ML में एवं 5 ML में 6.0100 है 1/3 हिस्से में से 1/2 हिस्सा का अनुतोष चाहा है। इसी रकबे के पक्षकारों में एक अन्य दावा रामजीलाल आदि बनाम संतराम मु.नं. 19/2016 इसी न्यायालय में साक्ष्य की स्टेज पर विचाराधीन है। उक्त दावे को लम्बित करने हेतु प्रतिवादीगण द्वारा अपने पोते से साजिशन यह दावा पेश किया है। पूर्ववर्ती वाद व पश्चातवर्ती वाद में समान बिंदु अन्तर्ग्रस्त है। दोनों वादों का सार एक है तथा अनुतोष भी समान है अतः पश्चातवर्ती वाद को स्थगित रखा जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने जवाब बहस में कथन किए कि वाद हाजा में वादी ने पैतृक सम्पति में जो कि दादा के हिस्से की है, में बटवारे हेतु दावा पेश किया है। पूर्ववर्ती दावे में वादी पक्षकार ही नहीं [illegible] पैतृक सम्पति में अपना एक हिस्सा ले [illegible] है। [illegible] न्यायदृष्टान्त 2020 RRT LF) पेज 03 [illegible] खारिज करने कथन किए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Rathod
Date: 2021.06.11 16:27:13 IST
Reason: Self Attested

प्रकरण सं0 ....अनवान.........

Continuation Note Sheet

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन एवं माननीय न्यायालयों के न्यायदृष्टांत का ससम्मान अध्ययन किया गया। पूर्ववर्ती वाद स. 19/2016 बनामवानी रामजीलाल आदि बनाम संतलाल में, विवाद की विषय वस्तु / वादग्रस्त आराजी चक 4ML खाता सं. 134/91 तथा चक 5ML खाता संख्या 127/124 की 6.0100 है. आराजी है। वर्तमान वाद में भी वादग्रस्त आराजी बिल्कुल समान है।

अतः यह बिंदु स्पष्ट है कि दोनों दावों में प्रसंगत आराजी बिल्कुल समान है। अब न्यायालय को प्रार्थना पत्र 10 CPC पर निर्णय हेतु अन्य दो बिंदुओं पर विनिश्चय करना है कि क्या दोनों दावों में पक्षकार एवं अनुतोष सारवान रूप से समान है अथवा नहीं?

पूर्ववर्ती वाद स. 19/2016 में तीन भाइयों - संतराम जयचंद (जयचंद के वारिसान) तथा रामजीलाल (पुत्रों सहित) के मध्य चक 4ML व 5ML की आराजी के खाता विभाजन का दावा विचाराधीन है। जिसमें रामजीलाल व इनके पुत्र सुनील, अनिल वादी एवं संतराम तथा जयचंद के वारिसान प्रतिवादीगण के रूप में पक्षकारान संयोजित है।

पश्चातवर्ती वाद में भी वादी (जो कि संतराम का पोता है) के अलावा तीनों भाइयों - संतराम, जयचंद व रामजीलाल मय इनके वारिसान पक्षकार के रूप में संयोजित है। पश्चातवर्ती वाद में वादी अपने दादा संतराम व उनके भाइयों के मध्य बटवारे के आधार पर संतराम के हिस्से की आराजी में से अपने हिस्से का विभाजन व घोषणा करवाना चाहता है।

जब पूर्ववर्ती वाद में वादी के दादा संतराम (के वारिसान) एवं उसके संतराम के भाइयों जयचंद (वारिसान), रामजीलाल (वारिसान) के मध्य समान आराजी बाबत बटवारे का वाद साक्ष्य स्तर पर विचाराधीन है तब उसी जमीन में उन्हीं पक्षकारों में से एक संतराम के हिस्से में से वादी पृथक से खाता विभाजन का दावा नहीं ला सकता।

प्रथमतः पूर्ववर्ती वाद में पश्चातवर्ती वाद के वादी के दादा संतराम (वारिसान) का ... ...

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2021.06.11 16:27:13 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण सं0 ....अनवान.........

Continuation Note Sheet

होना है। उसके पश्चात संतराम एवं उसके वारिसान के हिस्से में आए रकबे में से वादी प्रदीप कुमार अपने पिता रविशंकर को प्राप्त आराजी में से घोषणा व खाता विभाजन का अधिकारी होगा।

इस प्रकार पूर्ववर्ती एवं पश्चातवर्ती वाद में वादग्रस्त आराजी, अनुतोष एवं पक्षकारान सारवान रूप से समान है। अतः पूर्ववर्ती वाद का निस्तारण किए बिना पश्चातवर्ती वाद का निर्णय करना न्यायोचित नहीं होगा।

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत 10 CPC स्वीकार कर वाद हाजा की कार्यवाही पूर्ववर्ती वाद सं. 19/16 बअनवान रामजीलाल बनाम सरकार के निर्णय होने तक स्थगित की जाती है। निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रत्नू)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2021.06.11 15:27:13 IST
Reason: SelfAttested